साप्ताहिक पेशी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

2011/00045 सरवरक :-

(कायदा 129)

[General Rules (Civil), Rule 129, Appendix 'B' Form No. 8]

1. नाम अदालत — [illegible]
2. किस्म मुकदमा — [illegible]
3. अनवान मुकदमा
4. नम्बर व सन् मुकदमा — 33 / 2011
5. तारीख दायर — 7/6/2011
6. तारीख फैसला — 01/6/2017
7. तारीख दाखिल होने मुहाफिजखाना
8. अपील या निगरानी की तारीख फैसला
9. किस्म मिसल या हिस्सा
10. किस्म रेकार्ड
11. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ करना है
    (ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया
12. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है
    (ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया
13. (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ करना है
    (ब) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ किया गया
14. (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ करना है
    (ब) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ किया गया

App-A
Case-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (SDO) गुलाबपुरा मुकाम ....

घनश्याम पिता गजानन्द ब्राह्मण निवासी आगूंचा बनाम प्रहलाद गोदपुत्र भोगा ब्राह्मण वगैरह, आगूंचा

किस्म मुकदमा धारा 88-92 रा.का. तादाद 33 / 2011 सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	01/06/2017 पत्रावली आज लोक अदालत बैंच कोर्ट आगूंचा पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वकील वादी का इजहार करने पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस बहस वकील वादी का कथन था कि मूल खातेदार गजानन्द पिता कालूराम के चार पुत्र भोनाथ, प्रहलाद, हीरा व घनश्याम थे। इनमें से प्रहलाद अपने बड़े पिता भोगा के गोद चला गया था, तभी से वह भोगा का गोद पुत्र से पहचाना जाता है। गजानन्द की मृत्यु के उपरान्त उक्त आराजी का नामान्तकरण विरासत से भोनाथ, हीरा व घनश्याम के नाम पर खुलना चाहिये था, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी घनश्याम की जगह प्रहलाद के नाम नामान्तकरण खोल दिया गया। प्रहलाद का वादग्रस्त आराजीयात ख0- 44 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा पर कोई हक अधिकार नहीं होते हुये भी अपने अवैध व नाजायज तरीके से उक्त आराजी को प्रतिवादी सं0-7 उगमी को बेचान कर दी। वकील वादी का बहस में आगे यह भी कथन किया कि प्रतिवादी सं0-1 प्रहलाद के द्वारा प्रतिवादी सं0-7 उगमी के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड बेचान को सिविल कोर्ट ने निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी को खातेदार घोषित फरमाया जावें। निरन्तर---	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि विवादित आराजी पर वादी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा और न है। बिना कब्जे के वादी हक घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी क्र0-7 ने प्रतिफल राशि अदा कर भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा बतौर मालिक वह काश्त शुदा आराजी पर काबिज चली आ रही है। अन्त में कथन किया कि वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं होने से दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

मैंने वकील उभयपक्ष की बहस को सुना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है :-

वादी के द्वारा प्रस्तुत [illegible]-4 जमाबन्दी क्र0- 2022 से 2025 मौजा देवपुरा के अनुसार विवादित आराजी क्र0-44 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा भूमि गजानन्द पिता [illegible] के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा विरासत से [illegible]नाथ, प्रहलाद, हीरा पिता गजानन्द का नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा [illegible]नाथ के स्थान नामान्तरकरण क्र0-760 दिनांक 13/2/2009 विरासत से उदयलाल, [illegible] पिता [illegible]नाथ का नाम दर्ज होना प्रकट आया है।

जहाँ वादी का कथन था कि प्रतिवादी क्र0-1 प्रहलाद, गजानन्द के पोते को [illegible] के गोद चला गया था। इसलिए गजानन्द की वादग्रस्त आराजी में उसका कोई हक अधिकार नहीं होते हुये भी गजानन्द की विरासत खोलते वक्त गलती से घनश्याम के स्थान पर प्रहलाद का नाम दर्ज हो गया। अपने कथनों की पुष्टि में उनके द्वारा जमाबन्दी क्र0- 2063 से 2066 मौजा [illegible]

निरन्तर——

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार आराजी नं0- 404, 405, 406, 407, 408, 413, 944, 1286, 1287, 1291, 1292, 1295, 1296, 1305, 1308, कित्ता- 15 रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रहलाद पुत्र भोगा ब्राह्मण सा0 देह के नाम दर्ज रेकार्ड हुई है। उक्त जमाबन्दी से स्पष्ट है कि प्रतिवादी नं0-1 प्रहलाद भोगा ब्राह्मण के गोद गया था, साथ ही वादी के द्वारा इन विवादित आराजी के अलावा भी अन्य आराजी नम्बर- 561, 562, 653, 1281, 1289 1304, 1305 की जमाबन्दी ग्राम ऊँटाखेड़ी की प्रस्तुत की है, जिसमें भी सोनाथ, हीरा, घनश्याम पिता गजानन्द ब्रा0 खातेदार के रूप में दर्ज है। इस जमाबन्दी से भी स्पष्ट है कि वादी घनश्याम मृतक खातेदार गजानन्द का पुत्र है और प्रतिवादी नं0-1 प्रहलाद भोगा के गोद चले जाने से गजानन्द की उक्त आराजी में उसका नाम दर्ज नहीं हुआ था। वादग्रस्त आराजी नं0- 44 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा में प्रतिवादी नं0-1 का कोई हक अधिकार नहीं होते हुये भी मिस गलत नामान्तरकरण खुल जाने से वादग्रस्त आराजी में प्रहलाद का नाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादी नं0-1 प्रहलाद के द्वारा 1/3 हिस्से का विक्रय जो प्रतिवादी नं0-7 उगमी को किया गया है वह भी माननीय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) गुलाबपुरा के प्रकरण नं0- 42/2011 निर्णय दिनांक 6/6/2013 से निरस्त किया जा चुका है। संक्षेप में हम पाते हैं कि वादग्रस्त आराजी मृतक खातेदार गजानन्द ब्राह्मण के खातेदारी की भूमि थी। गजानन्द के चार पुत्र क्रमशः सोनाथ प्रहलाद, हीरा व घनश्याम हैं, जिनमें से प्रतिवादी नं0-1 प्रहलाद भोगा ब्राह्मण के गोद चला गया था निरन्तर—	सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तथा मौजा की भूमि विरासत से प्रहलाद के नाम दर्ज हुई थी। मृतक खातेदार गजानन्द की विवादित आराजी नं0-44 का जो नामान्तकरण खुला उसमें गजानन्द के पुत्र वादी घनश्याम के स्थान पर प्रतिवादी नं0-1 प्रहलाद का नाम लिख दिये जाने से इस गलत नामान्तकरण के आधार पर प्रतिवादी प्रहलाद ने वादग्रस्त भूमि में से 1/3 हिस्से की भूमि को प्रतिवादी नं0-7 उगमी को बेचान कर दिया गया परंतु: उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01/03/2003 को भी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। तदनुसार वादी एक घोषणा करवाने का अधिकारी पाये जाने से दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है :-

निर्णय
=======

दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा देवरिया तहसील हुरडा की आराजी नं0- 44 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा के खातेदार उगमी बेवा बालूराम ब्राह्मण के स्थान पर वादी घनश्याम पिता गजानन्द ब्रा0 को खातेदार घोषित किया जाता है शेष इन्द्राज बदस्तूर रहें। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावें। डिक्री पर्चा मुर्त्तिब हो। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करे। निर्णय आज दिनांक 01/06/17 को खुली लोक अदालत कैम्प कोर्ट ऊटारियों पर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner